निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (कानूनी नियम और आदेश) प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखें)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब सीट निर्विरोध ना हो (सीट पर चुनाव लड गया हैं)

राजस्थान विधानसभा (राज्य) से चुनाव (83, करौली) विधानसभा क्षेत्र से चुनाव निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 में शामिल उपबंधों के अनुसरण में मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री लाखन सिंह मकान न. 464 सराय का पुरा कटकड़ तहसील हिण्डौन जिला करौली बहुजन समाज पार्टी द्वारा प्रयोजित (मान्यता प्राप्त / राजनैतिक दल का नाम) को उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन की सीट को भरे जाने हेतु विधिवत् निर्वाचित किया गया है।

स्थान :— करौली दिनांक:— 11.12.2018

्रिंडिंग प्रसाद गौड़) रिटर्निंग ऑफिसर

(उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट) करौली

विधानसभा क्षेत्र 83, करौली
(जगदीश प्रसाद गौड़)
रिटर्निंग ऑफिसर
083-करौली वि.स.नि. क्षेत्र
(उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट) करौली

Conduct of Elections Rules 1961 (Statutory Rules and Order) FORM 21 C (See Rules 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act. 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan (State/Union Territory) from (83) Karauli Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Mr. LAKHAN SINGH HOUSE NO. 464 SARAY KA PURA KATKAD TEHSIL HINDAUN DISTRICT KARAULI sponsored by BAHUJAN SAMAJ PARTY has been elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place – Karauli Date – 11-12-2018

(JAGDISH PRASAD GOUR)
Returning Officer
(Sub Divisional Officer And

(Sub Divisional Officer And Sub Divisional Magistrate), Karauli Assembly Constituency 83, Karauli

(JAGDISH PRASAD GCLIE)
(Returning Officer)
(083) Karauli Assembly Constitution
(Sub Divisional Officer And
Sub Divisiona Magistrate), Karaula